संख्या : 21/2017/1355/60-2-17-2/1(23)/13 टीसी

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2017

विषयः- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1161/60-2-2013-2/1(23)/13 दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 एवं तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या-2548/60-2-2016-2/1(23)13 टीसी दिनांक 10 नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिये जाने व विभाग के वाहनों के अन्यत्र उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

2. अवगत कराना है कि प्रदेश में शिशुओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक बच्चे, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ हौसला पोषण योजना का संचालन किया जाता जिसमें अति कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गरम पका-पकाया भोजन, फल आदि उपलब्ध कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में लाभार्थियों के सर्वे/सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/ सहायिकाओं से अन्य विभागों के कार्य लिये जाने से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रकरण में शासनादेश दिनांक 09.10.2013 द्वारा आदेश निर्गत किया गया और पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा अनुस्मरण भी कराया गया, किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.10.2013 एवं 10.11.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य न लिया जाय तथा विभागीय वाहनों को अन्य विभागों के कार्यों में प्रयोग न किया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 21/2017/1355(1)/60-2-17, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यदि जनपदों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो इस सम्बन्ध में शासन को अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता सी. मेश्राम)

सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।